18-10-22 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित मौका रिपोर्ट तहसीलदार इन्द्रगढ़ पूर्व से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा स्वयं के बटवारे में भूमि को बताया गया है जबकि उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी के वाकिल भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। बटवारा सम्बन्धी दस्तावेजात के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र सशर्त खारिज किया जाता है। उक्त निर्णय अन्य किसी वाद में बाधक नहीं होगा। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, लाखेरी जिला बून्दी राज0

प्रार्थना पत्र संख्या–36/प्रा0पत्र/21 दिनांकः–

1. रामविलास पुत्र बरधा जाति मीणा निवासी कांकरा मेज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

–प्रार्थी–

बनाम

1. प्रभू पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी कांकरा मेज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र – धारा 251ए आरटीएक्ट

उपस्थितः– श्री महेन्द्र रेबारी एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः–**

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नं.0 451 रकबा 0.15 हैक्ट0 ख0 नं.0 453 रकबा 0.31 हैक्ट0 वाके ग्राम कांकरामेज तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है। जिसका खातेदार टीनेन्ट प्रार्थी है। उक्त भूमि प्रार्थी के बंटवारे में आयी है एवं काबिज काश्त होकर काश्तकारी कारता आ रहा है। उक्त भूमि पर आने–जाने का रास्ता खसरा नं0 450 व खसरा नं0 447 की पश्चिम से पूर्वी मेड के अंदर आता–जाता है तथा आगे आम रास्ता आ जाता है अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की कृषि

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

भूमि पर आने–जाने के लिए नहीं है और अंत में निवेदन किया कि खसरा सं0 450 व खसरा सं0 447 की पश्चिम से पूर्वी मेड के अन्दर 4 मीटर चौड़ाई में रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे तथा रास्ते के उपभोग में आने वाली कृषि भूमि का मूल्य अथवा न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि प्रार्थीगण जमा कराने को तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना नोटिस अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा भूमिधारी तहसीलदार से मौके एवं रिकॉर्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की कृषि भूमि पर ख0 नं0 450 व 447 की उत्तरी मेड से आते–जाते हो जो अन्य की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड हो अन्य कोई विकल्प प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने का नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 खाता सं0 176 ग्राम कांकरामेज के मुताबिक प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0 सं0 451 रकबा 0.15 हैक्ट0 संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है ख0 सं0 453 रकबा 0.31 हैक्ट0 खाता सं0 80 ग्राम कांकरामेज भी प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थी ने वर्णित उक्त भूमि उसके बंटवारे में आना बताया है परंतु इसकी पुष्टि हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसे में प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र अनुसार रास्ता दिये जाने पर अन्य सहखातेदारों के सुखाचार अधिकार की वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में अस्पष्टता बढेगी जिससे विवाद बढ़ने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः प्रार्थी प्रार्थना–पत्र सशर्त खारिज किया जाता है कि प्रार्थी सभी संयुक्त खातेदारों को सहमति अनुसार पक्षकार बनाये अथवा प्रार्थी स्वयं अपने हिस्से का बटवारा कराकर रास्ते बाबत अनुतोष प्राप्त कर सकता है। यह निर्णय अन्य वाद में बाधक नहीं होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बूंदी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)